बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :– 3/अ०प्र०–1–192/2019 05 /पटना, दिनांक :– 15.1.202

श्री अशोक कुमार पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, तेघड़ा द्वारा अवैधानिक तौर पर एवं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर श्री अशोक कुमार पोद्दार, अनुसेवक, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा को मुख्य अभियंता–3 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग में सेवा सौंपने एवं योगदान देने हेतु आदेश देने के आरोप पर श्री पासवान के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1942 अनु0 दिनांक 01.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। साथ ही श्री पोद्दार को उक्त अवधि में देय वेतन कुल ₹ 5,11,761 की वसूली श्री पासवान से करने के बिन्दु पर उनसे कारण पृच्छा की गयी।

श्री पासवान द्वारा समर्पित अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि श्री पोद्दार, अनुसेवक के विरूद्ध कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों से श्री पोद्दार द्वारा असंसदीय शब्दो का प्रयोग करते हुए धमकी देने से संबंधित प्राप्त सूचना के आधार पर इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।.साथ ही उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाई गयी। उक्त के बावजूद भी श्री पोद्दार द्वारा अपना स्पष्टीकरण नहीं समर्पित करने के कारण कार्यालय पत्रांक 248 दिनांक 01.03.2017 द्वारा उन्हें मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के यहाॅ योगदान देने हेतु विरमित कर दिया गया। श्री पोदृदार की सेवा मुख्य अभियंता–3 के कार्यालय में सौंपने के संबंध में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि कार्यालय द्वारा इस बात को संज्ञान में नहीं लाया गया, जिससे की वह अधीक्षण अभियंता के समक्ष उन्हें योगदान देने हेतु कहते।

अनुसेवक के स्थानांतरण/पदस्थापन के लिए कार्यपालक अभियंता सक्षम प्राधिकार नहीं है अपितु संबंधित अधीक्षण अभियंता सक्षम प्राधिकार है। स्पष्ट है कि श्री अशोक कुमार पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य प्रमंडल, तेघड़ा द्वारा मनमाने तौर पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर श्री अशोक कुमार पोद्दार, अनुसेवक, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा को मुख्य अभियंता–3 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग में योगदान देने हेतु विरमित किया गया। कार्यपालक अभियंता के प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध श्री पोद्दार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया जिसके फलस्वरूप विभाग को अवांछनीय न्यायिक वाद का सामना करना पड़ा एवं श्री पोद्दार को कार्य प्रमंडल, रोसड़ा से विरमित करने की तिथि से पुनः योगदान देने की तिथि तक की अवधि को कर्त्तव्य अवधि मानते हुए देय वेतन के भुगतान का आदेश निर्गत करना पड़ा। इस संबंध में श्री पासवान द्वारा दिया गया यह तर्क की उन्हें कार्यालय द्वारा उस बात को संज्ञान में नहीं लाया गया, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि श्री पासवान को अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में खुद अवगत रहते हुए अपने अधीनस्त कर्मी के संबंध में आदेश पारित करना चाहिए था। यदि संबंधित कर्मी के विरूद्ध कार्रवाई आवश्यक था तो इन्हें इसके लिए सक्षम प्राधिकार अर्थात अधीक्षण अभियंता को अनुशंसा करनी चाहिए थी, किन्तु इनके द्वारा अनुशंसा न कर अनियमित रूप से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर श्री पोद्दार की सेवा को सीधे मुख्य अभियंता–3 कार्यालय को सौंपते हुए योगदान करने आदेश निर्गत कर दिया गया।

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com, & secy-reo-bih@nic.inP-201

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्री अशोक कुमार पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए श्री पोद्दार, अनुसेवक को भुगतेय राशि ₹ 5,11,761 की वसूली श्री पासवान से करने का निर्णय लिया गया है।

14/1/2020

(मनोज कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–192/2019 326 /पटना/दिनांकः– 15-1-2020

प्रतिलिपि :– श्री अशोक कुमार पासवान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, तेघड़ा सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश है कि उक्त राशि कार्य प्रमंडल, तेघड़ा के खाते में अविलम्ब जमा कराना सुनिश्चित करें।

उप सचिव
14/1/2020

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–192/2019 326 /पटना/दिनांकः– 15-1-2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

उप सचिव
14/1/2020

ज्ञापांकः– 3/अ०प्र०–1–192/2019 326 /पटना/दिनांकः– 15-1-2020

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, तेघड़ा/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव
14/1/2020